

# फैद अहकाम

(नियम 26)

अदालत

बांवारकत जिला कलेक्टर  
मुकदमा टोंब

मो० हनीफ बर्कौ

वनाम उपखण्ड अधिकारी मालपुरा बर्कौ

कसम मुकदमा

शाब्दिक विविध  
(श्रीमफर)

म. 23 | पृ. 20/0

हारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय एमिग्रेशन

नंबर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
से जारी हुए

23/7/18

अभि. आवेदकगण उप० रिपोर्ट लखित  
हो चुकी है। शाब्दिक दर्ज शजित् कर आवेदक  
का शाब्दिक भी प्रति उपखण्ड अधिकारी मालपुरा  
को भिजवाते हुए बिन्दुकर रिपोर्ट मंगवाई जाकर  
पत्रावली दिनांक 3.8.18 को पेश हो।

3/8/18

पत्रावली पेश हुई। अभि. संघ यंत्र द्वारा आज  
न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया प्रवृत्ति पत्रावली  
दिनांक 14/8/18 को पेश हो।

बांवारकत जिला कलेक्टर  
टोंब

10/8/18

पत्रावली पेश हुई। अभिजातक आवेदकगण उपस्थित।  
पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत उक्त प्रकरण  
दिनांक 23.7.18 को कार्यरत उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा  
से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद न मिलने से बलों जेशकर  
प्रकरण सं० 173/2015 व अस्थायी निवेद्याला प्रार्थना-पत्र  
सं० 175/2015 उनवानी मोहम्मद हनीफ को० वनाम अब्दुल  
मुगनी को० उपखण्ड अधिकारी मालपुरा से अन्य किसी  
सक्षम न्यायालय में श्रीमफर किये जाने हेतु प्रस्तुत किया  
गया है। तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा जिनसे  
पक्षकार (प्रार्थीगण) को संतुष्टि न्याय की उम्मीद नहीं  
थी, का चूके स्थानान्तरण हो चुका है, इसलिए अब यह  
प्रार्थना-पत्र चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः  
शाब्दिक प्रार्थीगण चलने योग्य नहीं होने से श्वरित्र किया  
जाता है। प्रकरण शुमार फौजदारी से कर नंबर से कम हो  
एवा बाद तत्कालीन दाखिल दफतर हो।

बांवारकत जिला कलेक्टर  
टोंब

बांवारकत जिला कलेक्टर  
टोंब